उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-47/2016/एस-2-2599/दस-2016-33(23)/2016

लखनऊ :: दिनॉक:: 21 दिसम्बर, 2016

<u>कार्यालय-आदेश</u>

श्री राज्यपाल, चयन समिति की संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क विशेष वेतनमान, वेतनबैण्ड-4, रू0 37,400-67,000, ग्रेड वेतन रू0 8700/- में मौलिक रूप से नियुक्त निम्नलिखित अधिकारियों को उच्च वेतनमान (वेतनबैण्ड-4, रू0 37,400-67,000, ग्रेड वेतन रू0 8900/- में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से पदोन्नत करते हुए उनके वर्तमान पदों पर ही उनकी पदोन्नति के ग्रेड वेतन रू0 8900/- में उनके नाम के सम्मुख कालम-3 में अंकित पद/स्थान पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम/वर्तमान तैनाती का पद/स्थान	पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती का पद/स्थान
1	2	3
1	श्री पूर्णेन्दु शुक्ल, वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।	वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2	श्री प्रेम चन्द्र चौधरी, वित्त नियंत्रक, नियोजन विभाग उ0प्र0 लखनऊ।	वित्त नियंत्रक, नियोजन विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
3	श्री शैलेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव, वेतन पर्ची, इरला चेक, उ0प्र0 शासन।	संयुक्त सचिव, वेतन पर्ची, इरला चेक, उ0प्र0 शासन।
4	श्री तुलसी राम, वित्त नियंत्रक, चीनी निगम, उ0प्र0 लखनऊ।	वित्त नियंत्रक, चीनी निगम, उ0प्र0 लखनऊ।

2- उक्त नवपदोन्नत अधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वे पदोन्नति के पद का कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करा दें।

(शिव गोपाल सिंह)

अनु सचिव।

<u>संख्या-47/2016/एस-2-2599(1)/दस-2016, तददिनॉक।</u>

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesj.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/नियोजन/सचिवालय प्रशासन/चीनी विभाग उ0प्र0 शासन।

3- सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- प्रबन्धन निदेशक,चीनी निगम, उ0प्र0 लखनऊ।

5- निदेशक, आयुर्वेद निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

6- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

7- निदेशक, पेंशन/सामूहिक बीमा/एफ0ए0टी0आई, लखनऊ।

8- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

9- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ (कलेक्ट्रेट/जवाहर भवन), फैजाबाद।

10- संबंधित अधिकारीगण।

11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesj.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।